रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

**भाग--1, खण्ड (क)**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, शनिवार, 24 अक्तूबर, 1981**

कातक 2, 1903 शक सम्वत्

**उत्तर प्रदेश सरकार**

विधायिका अनुभाग--1

संख्या 2785/सत्रह-वि-1--65-80

लखनऊ, 24 अक्तूबर, 1981

अधिसूचना

**विविध**

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 पर दिनांक 23 अक्तूबर, 1981 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1981 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) अधिनियम, 1981

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1981)

[ जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ। ]

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय--एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) अधिनियम, 1981 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह दिनांक 1 अगस्त, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा।

## अध्याय—दो

## भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का संशोधन

अधिनियम संख्या 2 सन् 1899 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (10) के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—कोई लिखत, जिसके द्वारा किसी सम्पत्ति का ऐसा सह-स्वामी जिसका उसमें परिनिश्चित अंश हो, ऐसे अंश या उसके भाग का उस सम्पत्ति के किसी दूसरे सह-स्वामी को अन्तरण करता है, इस खंड के प्रयोजनों के लिये ऐसी लिखत है जिसके द्वारा सम्पत्ति अन्तरित की जाती है।"

धारा 11 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 11 में, खण्ड (सी) में, शब्द "भर्ती का प्रमाण-पत्र" के पश्चात् शब्द "और राजस्व अभिकर्ताओं या मुख्तारों को जारी किया गया भर्ती का प्रमाण-पत्र" रख दिये जायेंगे।

अनुसूची 1-बी का संशोधन

4—मूल अधिनियम की अनुसूची 1-बी में,—

(क) अनुच्छेद 8 में, खण्ड (बी) में, दूसरे स्तम्भ में शब्द "सैंतीस रुपये पचास पैसे" के स्थान पर शब्द और अंक "वही शुल्क जो 1,000 रु0 के बंधपत्र (सं0 15) पर लगता है" रख दिये जायेंगे;

(ख) अनुच्छेद 12 में, खण्ड (सी) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "सैंतीस रुपये पचास पैसे" के स्थान पर शब्द और अंक "वही शुल्क जो 1,000 रु0 के बन्धपत्र (सं0 15) पर लगता है" रख दिये जायेंगे;

(ग) अनुच्छेद 18 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद यथा इंगित स्तम्भवार रख दिया जायगा:—

| लिखत के विवरण से सम्बन्धित स्तम्भ में | उचित स्टाम्प शुल्क से सम्बन्धित स्तम्भ में |
|---|---|
| "18 विक्रय प्रमाण-पत्र (अलग लाट में रखी और बेची गयी प्रत्येक सम्पत्ति के बारे में) जो लोक नीलाम द्वारा बेची गयी किसी सम्पत्ति के क्रेता को किसी न्यायालय द्वारा, या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन लोक नीलाम द्वारा ऐसी सम्पत्ति को बेचने और ऐसा प्रमाण-पत्र देने के लिये सशक्त किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय द्वारा, दिया गया हो।" | "वही शुल्क जो केवल क्रय-धन की रकम के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण-पत्र (सं0 23) पर लगता है।" |

(घ) अनुच्छेद 46 में—

(एक) भाग (ए) में, खण्ड (बी) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "एक सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द और अंक "वही शुल्क जो 4,000 रु0 के बन्धपत्र (सं0 15) पर लगता है" रख दिये जायेंगे;

(दो) भाग (बी) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "सैंतीस रुपये पचास पैसे" के स्थान पर शब्द और अंक, "वही शुल्क जो 1,000 रु0 के बन्धपत्र (सं0 15) पर लगता है" रख दिये जायेंगे;

(ङ) अनुच्छेद 54 में, खण्ड (बी) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "पचहत्तर रुपये" के स्थान पर शब्द और अंक "वही शुल्क जो 1,000 रु0 के हस्तान्तरण-पत्र (सं0 23) पर लगता है" रख दिये जायेंगे;

(च) अनुच्छेद 55 में, खण्ड (बी) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर शब्द और अंक "वही शुल्क जो 3,000 रु0 के बन्धपत्र (सं0 15) पर लगता है" रख दिये जायेंगे;

(छ) अनुच्छेद 57 में, खण्ड (बी) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "सैंतीस रुपये पचहत्तर पैसे" के स्थान पर शब्द और अंक "वही शुल्क जो 1,000 रु0 के बन्धपत्र (सं0 15) पर लगता है" रख दिये जायेंगे;

(ज) अनुच्छेद 61 में,—

(एक) खण्ड (क) में, पहले स्तम्भ में, शब्द "सैंतीस रुपये पचहत्तर पैसे से" के स्थान पर शब्द और अंक "500 रु0 के प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र पर प्रभार्य शुल्क से" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (बी) में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "सैंतीस रुपये पचहत्तर पैसे" के स्थान पर शब्द और अंक "वही शुल्क जो 500 रु0 के प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (सं0 23) पर लगता है" रख दिये जायेंगे ;

(झ) अनुच्छेद 64 में, मद बी में, दूसरे स्तम्भ में, शब्द "पचहत्तर रुपये से" के स्थान पर शब्द और अंक "2,000 रु0 के बन्धपत्र (सं0 15) पर देय शुल्क से" रख दिये जायेंगे।

## अध्याय–तीन

### रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का संशोधन

अधिनियम संख्या 16 सन् 1908 की धारा 6 का संशोधन

5––रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्––

"परन्तु राज्य सरकार रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक को उप रजिस्ट्रार नियुक्त करने की शक्ति ऐसे निबंन्धनों और शर्तों के अधीन, जिन्हें वह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।"

धारा 18 का संशोधन

6––मूल अधिनियम की धारा 18 में, खण्ड (ग) में, शब्द और अंक, "और धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त पट्टे" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 18–क का निकाला जाना

7––मूल अधिनियम की धारा 18–क निकाल दी जायगी।

धारा 28 का संशोधन

8––मूल अधिनियम की धारा 28 में,––

(क) शब्द, अंक और अक्षर," की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) में वर्णित हर दस्तावेज धारा 17 की उपधारा (2)" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) शब्द, अंक और अक्षर "धारा 18 के खण्ड (क), (ख), (ग) और (गग)" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "धारा 18 के खण्ड (ग)" रख दिये जायेंगे।

धारा 50 का संशोधन

9––मूल अधिनियम की धारा 50 में––

(क) उपधारा (1) में शब्द, अंक और अक्षर "धारा 18 के खण्ड (क) और (ख)" के पश्चात् शब्द और अंक "जैसे कि वे खण्ड उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा निकाल दिये जाने के पूर्व थे," रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में शब्द और अंक "धारा 17 की उपधारा (1) के परन्तुक" के पश्चात् शब्द और अंक "जैसा कि वह परन्तुक उत्तर प्रदेश सिविल विधि (सुधार और संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा निकाल दिये जाने के पूर्व था," रख दिये जायेंगे।

धारा 51 का संशोधन

10––मूल अधिनियम की धारा 51 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्––

"(5) जहां अग्नि, झंझा, बाढ़, अतिवृष्टि, सेना या भीड़ या अन्य अप्रतिरोध्य बल कृत हिंसा के कारण उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई या सभी पुस्तकें नष्ट हो जायं या पूर्णत: या अंशत: अपठनीय हो जायं और राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगी कि ऐसी पुस्तक या उसके ऐसे प्रभाग की, जिसे वह उचित समझे, ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाय, उसे अधिप्रमाणित या पुन: सन्निर्मित किया जाय, और इस प्रकार तैयार की गई, अधिप्रमाणित या पुन: सन्निर्मित प्रतिलिपि को इस अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रयोजनों के लिए मूल पुस्तक या प्रभाग का स्थानापन्न और स्वयं ऐसी मूल पुस्तक या प्रभाग समझा जायगा।"

धारा 52 का संशोधन

11––मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) के पश्चात् आया हुआ स्पष्टीकरण निकाल दिया जायगा।

धारा 62 का संशोधन

12––मूल अधिनियम की धारा 62 में, उपधारा (1) के पश्चात् आया हुआ स्पष्टीकरण निकाल दिया जायगा।

धारा 69 का संशोधन

13––मूल अधिनियम की धारा 69 में, उपधारा (1) में, खण्ड (जज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्––

"(जज) धारा 19 के अधीन परिदत्त किए जाने वाले अनुवाद को तैयार करने और उन्हें विश्वस्त अनुवाद घोषित करने की रीति का विनियमन करने वाले,"।

धारा 82 का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 82 में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(ख) रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर को, धारा 19 या धारा 21 के अधीन किसी कार्यवाही में दस्तावेज की मिथ्या प्रति या मिथ्या अनुवाद या मानचित्र या रेखांक की मिथ्या प्रति साशय परिदत्त करेगा; अथवा"।

## अध्याय—चार

### प्रकीर्ण

निरसन तथा अपवाद

15—(1) उत्तर प्रदेश स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो और अध्याय तीन में उल्लिखित किसी अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उपर्युक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

---

No. 2785 (2) /XVII-V-1—65-80

*Dated Lucknow, October* 24, 1981

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Stamp Aur Registrikaran Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1981 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 1981) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented by the President on October 23, 1981.

## THE UTTAR PRADESH STAMP AND REGISTRATION LAWS (AMENDMENT) ACT, 1981

[U. P. Act no. 19 of 1981]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

*further to amend the Indian Stamp Act, 1899 and the Registration Act, 1908 in their application to Uttar Pradesh.*

It is hereby enacted in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows :—

### Chapter I

### Preliminary

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Stamp and Registration Laws (Amendment) Act, 1981.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on August 1, 1981.

## CHAPTER II

## Amendment of the Indian Stamp Act, 1899

Amendment of section 2 of Act II of 1899.

2. In section 2 of the Indian Stamp Act, 1899 as amended in its application to Uttar Pradesh, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in clause (10), the following Explanation shall be *inserted* in the end, namely:—

"*Explanation*—An instrument whereby a co-owner of a property having defined share therein, transfers such share or part thereof to another co-owner of the property, is for the purposes of this clause an instrument by which property is transferred."

Amendment of section 11.

3. In section 11 of the principal Act, in clause (*c*), *after* the words "State Bar Council of Uttar Pradesh" the words "and certificates of enrolment issued to Revenue Agents or Mukhtars" shall be *inserted*.

Amendment of Schedule I-B.

4. In Schedule I-B to the principal Act,—

(*a*) in Article 8, in clause (*b*), in the second column *for* the words "Thirty-seven rupees and fifty paise" the words and figures "the same duty as a Bond (no. 15) for Rs. 1,000" shall be *substituted* ;

(*b*) in Article 12, in clause (*c*), in the second column, *for* the words "Thirty-seven rupees and fifty paise" the words and figures "The same duty as a Bond (no. 15) for Rs. 1,000" shall be *substituted*;

(*c*) *for* Article 18, the following Article shall be *substituted* columnwise as indicated below:—

| In the column pertaining to description of instrument | In the column pertaining to proper stamp duty |
|---|---|
| "18. Certificate of sale (in respect of each property put up as a separate lot and sold) granted to the purchaser of any property sold by public auction by a court or by an officer, authority or body empowered under any law for the time being in force to sell such property by public auction and to grant such Certificate." | "The same duty as a conveyance (no. 23), for a consideration equal to the amount of the purchase money only." |

(*d*) in Article 46,—

(i) in Part A, in clause (*b*), in the second column, *for* the words "One hundred and fifty rupees" the words and figures "The same duty as a Bond (no. 15) for Rs.4,000" shall be *substituted* ;

(ii) in Part B, in the second column, *for* the words "Thirty-seven rupees and fifty paise" the words and figures "The same duty as a Bond (no. 15) for Rs. 1,000" shall be *substituted* ;

(*e*) in Article 54, in clause (*b*), in the second column, *for* the words "Seventy-five rupees" the words and figures "The same duty as a conveyance (no. 23) for Rs. 1,000" shall be *substituted*;

(*f*) in Article 55, in clause (*b*), in the second column, *for* the words, "One hundred rupees" the words and figures "The same duty as a Bond (no. 15) for Rs. 3,000" shall be *substituted* ;

(*g*) in Article 57, in clause (*b*), in the second column, *for* the words "Thirty-seven rupees and seventy-five paise" the words and figures "The same duty as a Bond (no. 15) for Rs. 1,000" shall be *substituted*;

(*h*) in Article 61—

(i) in clause (*a*), in the first column, *for* the words "Thirty-seven rupees and seventy-five paise" the words and figures "the duty chargeable on a conveyance for a consideration of Rs.500" shall be *substituted* ;

(ii) in clause (*b*), in the second column, *for* the words, "Thirty-seven rupees and seventy-five paise" the words and figures "The same duty as a conveyance (no. 23) for a consideration of Rs. 500" shall be *substituted*.

(*i*) in Article 64, in Item B, in the second column, *for* the words "Seventy-five rupees" the words and figures "the duty payable on a Bond (no. 15) for Rs.2,000" shall be *substituted*.

## CHAPTER III

## Amendment of the Registration Act, 1908

Amendment of section 6 of Act no. 16 of 1908.

5. In section 6 of the Registration Act, 1908, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, the following proviso shall be *inserted* in the end, namely:—

"Provided that the State Government may delegate, subject to such restrictions and conditions as it thinks fit, to the Inspector-General of Registration, the power of appointing Sub-Registrars."

Amendment of section 18.

6. In section 18 of the principal Act, in clause (*c*), the words and figures "and leases exempted under section 17" shall be *omitted*.

Omission of section 18-A.

7. Section 18-A of the principal Act shall be *omitted*.

Amendment of section 28.

8. In section 28 of the principal Act —

(*a*) the words, figures and letters "sub-section (1), clauses (*a*), (*b*), (*c*), (*d*) and (*e*), section 17, sub-section (2)" shall be *omitted*.

(*b*) *for* the words, figures and letters "section 18, clauses (*a*), (*b*), (*c*) and (*cc*)" the words, figures and letters "every document mentioned in section 18, clause (*c*)" shall be *substituted*.

Amendment of section 50.

9. In section 50 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), *after* the words, figures and letters "and clauses (*a*) and (*b*) of section 18" the words and figures "as these clauses stood before their omission by the Uttar Pradesh Civil Laws (Reforms and Amendment) Act, 1976" shall be *inserted*;

(*b*) in sub-section (2), *after* the words and figures "proviso to sub-section (1) of section 17" the words and figures "as the proviso stood before its omission by the Uttar Pradesh Civil Laws (Reforms and Amendment) Act, 1976" shall be *inserted*.

Amendment of section 51.

10. In section 51 of the principal Act, *after* sub-section (4), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(5) Where due to fire, tempest, flood, excessive rainfall, violence of any army or mob or other irresistible force, any or all of the books specified in sub-section (1) are destroyed or become illegible either wholly or partially and the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, direct such book or such portion thereof as it thinks fit, to be re-copied, authenticated or reconstructed in such manner as may be prescribed, and the copy so prepared, authenticated or reconstructed shall, for the purposes of this Act and of the Indian Evidence Act, 1872, be deemed to have taken the place of, and to be, the original book or portion."

Amendment of section 52.

11. In section 52 of the principal Act, in sub-section (1), the Explanation occurring *after* clause (*c*) shall be *omitted*.

Amendment of section 62.

12. In section 62 of the principal Act, the Explanation occurring *after* sub section (1) shall be *omitted*.

Amendment of section 69.

13. In section 69 of the principal Act, in sub-section (1), *for* clause (*hh*), the following clause shall be *substituted*, namely—

"(*hh*) regulating the manner in which translations to be delivered under section 19 shall be prepared and in which they shall be declared to be faithful translations ;"

Amendment of section 82.

14. In section 82 of the principal Act, *for* clause (*b*), the following clause shall be *substituted*, namely—

"(*b*) intentionally delivers to a registering officer, in any proceeding under section 19 or section 21, a false copy or translation of a document, or a false copy of a map or plan ; or"

## CHAPTER IV

### MISCELLANEOUS

U.P. Ordinance No. 7 of 1981.

15. (1) The Uttar Pradesh Stamp and Registration Laws (Amendment) Ordinance, 1981 is hereby repealed. Repeal and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under any of the Acts mentioned in Chapters II and III as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the aforesaid Acts as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

G. B. SINGH,
*Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 157 सा० (विधा०)—26-10-81—(2395)—1981—800 (बैक०)।